4. वित्त सेवा के अंतर्गत 08 वे, 16 वे, 30 वे एवं 35 वे वर्ष में प्रदान किये जाने वाली राज्य शासन की "क्रमोन्नति प्रकिया" का प्रावधान नहीं है न ही किसी भी स्तर पर पदोन्नति का प्रावधान है। **राज्य प्रशासनिक सेवा की तरह वित्त सेवा में भी सभी स्तरों पर "चयन द्वारा नियुक्ति" का प्रावधान वर्ष–2018 से निरंतर लागू है।**

5. सामान्यता **पदोन्नति में "कार्य नहीं वेतन नहीं"** का सिद्धांत लागू होता है क्योकि पदोन्नत पद में ज्वाईनिंग रिपोर्ट देने अनिवार्य है **इसीलिए पदोन्नति में "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू होता है।** जबकि **"क्रमोन्नति/चयन प्रकिया द्वारा नियुक्ति"** में एक निश्चित तिथि से वेतनमान स्वीकृत किया जाता है, इस प्रकिया के अंतर्गत किसी पद पर ज्वाईनिंग का प्रावधान नहीं होता। ज्वाईनिंग किसी पद पर की जाती है, किसी प्राप्त हो रहे वेतनमान पर नहीं। **इसीलिए ऐसे प्रकरणों में "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू नहीं होता है।**

6. राज्य पुलिस सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के जारी आदेशों मे भी "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

संक्षेप में, पूर्व में वित्त सेवा के अंतर्गत कुछ स्तरों पर पदोन्नति का प्रावधान था तथा कुछ स्तरों पर चयन का प्रावधान था परन्तु वर्ष–2018 से वित्त सेवा संवर्ग के सभी वेतनमानों में "चयन द्वारा नियुक्ति" दिये जाने का "सेवा शर्ते एवं भर्ती नियमों" में संशोधित प्रावधान कर दिया गया है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि भविष्य में, वित्त विभाग द्वारा सभी श्रेणियों में "चयन द्वारा नियुक्ति" के जो आदेश जारी किये जावे, उन सभी में "कार्य नहीं वेतन नहीं" की टीप विलोपित किये जाने के आदेश जारी करने का अनुरोध है।

आशा है संघ के इस अनुरोध/प्रतिवेदन पर आप, वित्त विभाग के अधिकारियों को परीक्षण कर उचित निर्देश शीघ्र की जारी करवायगे।

अध्यक्ष